संख्या– 35 बीपी(1)/35–1–2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 04 मार्च, 2014

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बकरी इकाईयों की स्थापना नामक परियोजना, जिसकी कुल लागत रू. 8.33 करोड़ है, की निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 35.00 लाख (रूपये पैतीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(करोड़ रू. में)

	मद	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	7.50	0.35
2	लाभार्थी अंश	0.83	0.00
	योग	**8.33**	**0.35**

1– स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No.Q-11050/21/2013–Agri. दिनॉक 11 फरवरी, 2014 के माध्यम से अनुमोदित परियोजना/कार्यों एवं उसके साथ लगायी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन माइलस्टोन्स/टाइमलाइन्स सहित विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए किया जायेगा। इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2– उपरोक्त योजना/परियोजना एक से अधिक जनपदों में कार्यान्वित होने को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत की जा रही धनराशि एवं कार्य–योजना की जनपदवार भौतिक लक्ष्यों की फॉट तैयार कर तत्काल केन्द्रीय योजना आयोग, एन.आर.ए.ए., राज्य सरकार तथा सम्बंधित मण्डलायुक्त/ज़िलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/विभागीय ज़िला स्तरीय अधिकारियों को उनके स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।

4– स्वीकृत धनराशि राजकोष से आहरित कर पूर्व– निर्धारित फण्ड–फ्लो व्यवस्था से भिन्न पी.एल.ए. या अन्य किसी खाते में नहीं रखी जायेगी तथा धनराशि का आहरण कार्यहित में आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग कार्य योजना के अनुसार समयबद्ध ढंग से बिलम्बतम दिनॉक 31–03–2014 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा।

5– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2014 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6– निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग–6 के अध्याय–12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार स्थलीय निरीक्षण उपरांत विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित नेशनल रेनफेड एरिया अथारिटी भारत सरकार एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7– कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज़ नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

8– कार्य स्थल पर इसे बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ–साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन–साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

9– द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

10– कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव की समुचित व्यवस्था वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व वन विभाग का होगा और विभाग द्वारा तदनुसार नेशनल रेनफेड एरिया अथारिटी एवं योजना आयोग, भारत सरकार तथा नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

12– परियोजना के लिये स्पष्ट रूप से क्षेत्र/लाभार्थी को अभिज्ञानित करने में पूर्ण पारदर्शिता अपनायी जायेगी तथा जनमानस के लिये सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा ताकि स्थानीय जनमानस के सहयोग से द्विरावृत्ति को रोका जा सके।

13– अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट के अनुदान संख्या–40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष–2575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आयोजनागत–02–पिछड़े क्षेत्र–800–अन्य व्यय–04–बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं–10–बकरी इकाईयों की स्थापना–27–सब्सिडी के नामें डाला जायेगी। उक्त धनराशि लेखाशीर्ष 2575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आयोजनागत–02–पिछड़े क्षेत्र–800–अन्य व्यय–03–बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं–42–अन्य व्यय में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा। आदेश संख्या–35 बीपी/35–1–2014 दिनॉक 04 मार्च, 2014 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–5–484(1)/दस–2014 दिनॉक 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–35 बीपी (2)/35–1–2014 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2– महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग ।
4– प्रमुख सचिव, वित्त।
5– निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6– मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7– जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8– मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
9– कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट/लखनऊ।
10– गार्ड फाईल।
11– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5
12– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/ महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।